

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म०प्र० ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 433/दो-06-246/21

शिवपुरी, दिनांक-26/10/21

श्री एम. के. वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा जिला शिवपुरी का दिनांक 21.09.21 से 25.09.21 तक कुल 05 दिवस का लघुकृत अवकाश, जो उनके अर्द्धवैतनिक अवकाश लेखे से द्विगुणित मात्रा में विकलनीय होगा, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. वर्मा को पुनः द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा जिला शिवपुरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री एम. के. वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा जिला शिवपुरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा जिला शिवपुरी के पद पर कार्यरत रहते।

श्री वर्मा के लघुकृत अवकाश लेखा में 166 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठां.क्रमांक A/334/.../दो-06-246/21

शिवपुरी, दिनांक-27/10/21

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री एम. के. वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- लेखापाल/सहा. लेखापाल प्रथम/सांख्यिकी लिपिक, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधिकारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म०प्र० ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 429/दो-06-97/19

शिवपुरी,दिनांक-25/10/21

श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पोहरी जिला शिवपुरी का दिनांक 20.10.21 से 28.10.21 तक कुल 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव को पुनः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पोहरी जिला शिवपुरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि, श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पोहरी जिला शिवपुरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पोहरी जिला शिवपुरी के पद पर कार्यरत रहती।

श्रीमती श्रीवास्तव के अर्जित अवकाश लेखा में 166 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/—

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठांकमांक B/3350/दो-06-97/19

शिवपुरी,दिनांक-25/10/21

प्रतिलिपि :-

- 1- श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- लेखापाल/सहा. लेखापाल प्रथम/सांख्यिकी लिपिक, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधिकारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म०प्र० ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 434 / दो-06-246 / 21

शिवपुरी, दिनांक-26 / 10 / 21

श्री एम. के. वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा जिला शिवपुरी का दिनांक 20.09.21 का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाकर अवकाश लेखा में जोडा जाता है तथा दिनांक 20.09.21 का 01 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. वर्मा को पुनः द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा जिला शिवपुरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री एम. के. वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा जिला शिवपुरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा जिला शिवपुरी के पद पर कार्यरत रहते।

श्री वर्मा के अर्जित अवकाश लेखा में 230 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही / -

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठां.क्रमांक : 8/3342 / दो-06-246 / 21

शिवपुरी, दिनांक-27 / 10 / 21

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री एम. के. वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- लेखापाल/सहा. लेखापाल प्रथम/सांख्यिकी लिपिक, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधिकारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।